न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./2872/2004/अलवर

मूर्ति मंदिर श्री दाऊजी महाराज विराजमान ग्राम सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर संरक्षक एवं पुजारी श्री रामावतार शर्मा निवासी सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भोरा)
2. रामचन्द्र) पुत्रान गंगाराम
3. चन्दर)
4. सांवलिया)
5. किशनलाल) पुत्रान मनफूल
6. भोला)
7. काड़ा पुत्र मनफूल (मृतक)
   जरिये वारिसान :-
   7/1. बच्चू पुत्र काड़ा
   7/2. रामनारायण पुत्र काड़ा
   7/3. मक्खन पुत्र काड़ा
   7/4. मु0 भगवती बेवा काड़ा
   समस्त जाति मीना निवासी सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।
8. श्रीया) पुत्रान मनफूल
9. मेदा)
10. लल्लू)
11. भरतू) पुत्रान मोहरपाल
12. हबदू)
13. मनीराम)
14. पून्या पुत्र बंशी (मृतक)

15. भोरया पुत्र रणजीत (मृतक)
    मृतक जरिये वारिसान :-
    15/1. रतनलाल)

15/2. जयलाल) पिसरान भोरिया उर्फ झारिया
15/3. वलिराम)
15/4. मु0 किशुनी बेवा भोरिया उर्फ झारिया
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।
16. रतनलाल पुत्र भोरया
17. भोरया पुत्र रामसहाय (मृतक)
जरिये वारिसान :–
17/1. रतनलाल पुत्र भौरिया
17/2. नहनी पत्नि भौरिया
निवासी गुडवास सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।
18. मु0 भोदी बेवा श्योदान
19. रतीराम)
20. हरिराम)
21. भूरा) पुत्रान श्योदान
22. सुवा)

23. किशन)
24. लाडी) पुत्रान श्योदान
25. कोमल)
26. सम्पत पुत्र मोहन
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर
27. राजस्थान सरकार।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।

——————

निर्णय

दिनांक : 12-11-2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 272/1999 में पारित निर्णय दिनांक 21-6-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, कठूमर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के यहां इस इस आशय का पेश किया कि ग्राम सहाडी में स्थित साबिक खसरा नंबर 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, कुल किता 7 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन आराजी खसरा नंबर 448, 452, 453, 454, 447, 449, 450 एवं 451 कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जो मंदिर श्री दाऊजी महाराज की खुदकाश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है एवं राजस्व रिकार्ड में भी इसी प्रकार का इन्द्राज चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2034 के अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है। भूमि का स्थांनातरण नियमों के विपरीत होने से अवैधानिक है। अप्रार्थी मंदिर की ओर से भूमि पर काश्त करते थे एवं मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है, को लगान एवं बटाई पर देते आ रहे थे। मंदिर की खुदकाश्त की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते किन्तु फिर भी उन्होंने अपने नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बंदोबस्त अधिकारियों से मिलकर दर्ज करवा लिया है। अप्रार्थीगण के नाम मंदिर की भूमि दर्ज किये जाने से धारा 46 एवं 16 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अतः मंदिर मूर्ति दाऊजी का नाम पुनः विवादित भूमि पर किये जाने के लिए रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर ने अपने आदेश दिनांक 22–5–92 द्वारा रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 15–12–93 के द्वारा उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि मंदिर मूर्ति श्री दाऊजी महाराज के खातेदारी में दर्ज करने के आज्ञा पारित की। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष नजरसानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त नजरसानी के निर्णय दिनांक 07–01–97 के अन्तर्गत मण्डल के पूर्व निर्णय दिनांक 15–12–93 को निरस्त किया गया एवं रेफरेंस पुनः नम्बर पर लिया जाकर अस्वीकार किया गया एवं प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि संबंधित पक्षो को सुनवाई का मौका देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2004 द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर मूर्ति मंदिर की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–01–97 में दिये गये निर्देशों से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 15–12–93 को गुणावगुण पर पारित नहीं होना माना एवं अतिरिक्त कलक्टर का आदेश 22–5–92 को केवल मोरपाल एवं काडा के वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं देने से विधि विरूद्ध माना था। अतिरिक्त कलक्टर को केवल मोरवाल एवं काडा के वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण को निर्णित कर रेफरेंस प्रेषित करना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं कर अतिरिक्त कलक्टर ने अपने क्षेत्राधिकार का सही तरह से प्रयोग नहीं किया है। उन्हें केवल यह देखना था कि विवादित भूमि की स्थिति क्या थी एवं उसके बाद किन राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में परिवर्तन किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों अनुसार संवत 2012 से 2022 एवं उसके बाद प्रार्थी की खुदकाश्त खातेदारी की भूमि रही है इनमें केवल अप्रार्थीगण को मंदिर का काश्तकार होना बताया गया है। अतिरिक्त कलक्टर ने बिना विचार किये अप्रार्थीगण को खातेदारी प्राप्त हो गये, माना है, जबकि यह निर्णित करने का उन्हें अधिकार नहीं था। अतिरिक्त कलक्टर ने रेफरेंस अस्वीकार करने के जो कारण दिये है वे अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर दिये है। उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 व 16 को अनदेखा कर दिया है। उनका कथन है कि रेफरेंस में मंदिर की मिलकियत एवं खातेदारी की भूमि होने से किसी भी उपकृषक को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत केवल जागीर की भूमि का पुनर्ग्रहण हुआ है ना कि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि पुनर्ग्रहण की गयी है। चूंकि

मंदिर की भूमि पुनर्ग्रहण ही नहीं की गयी है तो अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अन्त में उनका कथन है कि निगरानी/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त कलक्टर का निर्णय दिनांक 21–6–04 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि पुनः मंदिर मूर्ति श्री दाऊजी के नाम खातेदारी में दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबरान 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 कुल किता 7 कुल रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा जिन्हें दुर्गाप्रसाद ने संवत 2006 में अप्रार्थीगण को पट्टे पर दिया था तब से अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं। प0 दुर्गाप्रसाद ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष दिनांक 12–12–55 को वाद प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–10–56 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील की गई, जो निर्णय दिनांक 03–4–57 से खारिज की गई इसमें अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार माना है। इसके अलावा पुजारी द्वारा एक दावा सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ के यहां प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 08–6–76 को किया गया इसमें तनकी संख्या 6 व 7 में पंडित ने बयान किया है कि दाऊजी की मूर्ति गांव में नहीं है। इसलिए मंदिर मूर्ति के अधिकार समाप्त हो गये हैं। विवादित आराजी के अप्रार्थीगण सब–टीनेन्ट हैं। जमाबंदी संवत 2012 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2012 में अप्रार्थीगण गैर मौरूसी दर्ज है। उनका आगे कथन है कि इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त कलक्टर ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया है जब

सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 08–01–93 को अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार माना गया है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 व 2012 में अप्रार्थीगण गंगाराम वगैरह गैर मौरूसी दर्ज है। अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय उचित है जिसमें निगरानी/प्रार्थना पत्र के जरिये हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी/प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने अपने कथनों के समर्थनमें आर.बी.जे (23) 2016 पेज 532, आर.बी.जे. (20) 2013 पेज 271, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 726 तथा आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 303 के हैडनोट की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा साथ ही आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 532, आर.बी.जे (20) 2013 पेज 271, 2013 (1) आर.आर.टी. पेज 726, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 303 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 ई के अन्तर्गत दिनांक 12–12–55 को दावा पेश किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 16–10–56 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–04–57 को खारिज कर दिया।

8– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा एक दावा सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में दिनांक 12–10–72 को प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 08–06–76 द्वारा खारिज कर दिया गया।

9– उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के दावे खारिज किए जाने के तथ्यों को निगरानी में प्रकट नहीं किया गया। हमारी राय में जब प्रार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त निर्णयों को चुनौति देने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील पेश किए जाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है इसके बावजूद प्रार्थी ने उक्त वैकल्पिक उपचार का उपयोग नहीं कर भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता इस न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है वरन् तथ्य छिपाकर निगरानी प्रस्तुत की है।

10– निगरानी का क्षेत्र सीमित है तथा इसके माध्यम से उन्हीं निर्णय व आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो। जहां तक धारा 9 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का प्रश्न है, वह केवल उन्हीं प्रकरणों में प्रयोग में लिया जा सकता है जहां पर वैकल्पिक उपचार उपलब्ध न हो। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांत प्रश्नगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः हम निगरानी को खारिज किया जाना उचित समझते है।

11– उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–06–2004 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य